

केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 10)

[9 जुलाई, 2019]

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायताप्राप्त कतिपय केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में,
शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और
शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित
व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और
उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह 7 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

1956 का 3

(क) “समुचित प्राधिकरण” से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी केंद्रीय शिक्षा संस्था में उच्चतर शिक्षा के मानकों के अवधारण, समन्वय या अनुरक्षण के लिए किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है;

(ख) “अध्ययन शाखा” से बैचलर (स्नातक), मास्टर्स (स्नातकोत्तर) और डॉक्टरल स्तरों पर अर्हताओं के तीन प्रधान स्तर दिलाने वाली अध्ययन की कोई शाखा अभिप्रेत है;

(ग) “केंद्रीय शिक्षा संस्था” से—

(i) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;

(ii) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित कोई संस्था और जो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली या उससे सहायता पाने वाली संस्था हो; 1956 का 3

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चलाई जाने वाली या उससे सहायता पाने वाली कोई संस्था और जो उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी संस्था से सहबद्ध हो या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संस्था की घटक इकाई हो; और

(v) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्था, अभिप्रेत है; 1860 का 21

(घ) “सीधी भर्ती” से किसी केंद्रीय शिक्षा संस्था में शिक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों से लोक विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करके संकाय सदस्य नियुक्त करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ङ) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों” से ऐसे कमजोर वर्ग अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (6) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट हैं;

(च) “संकाय” से केंद्रीय शिक्षा संस्था का संकाय अभिप्रेत है;

(छ) “अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था” से संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई संस्था अभिप्रेत है और जिसे संसद् के किसी अधिनियम द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित किया गया है; 2005 का 2

(ज) “स्वीकृत पदसंख्या” से शिक्षकों के काडर में समुचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या अभिप्रेत है;

(झ) “अनुसूचित जातियों” से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जातियां अभिप्रेत है;

(ञ) “अनुसूचित जनजातियों” से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां अभिप्रेत हैं;

(ट) “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 342क के अधीन इस प्रकार समझे गए हैं;

(ठ) “शिक्षकों का काडर” से अध्ययन या संकाय की शाखा को ध्यान में लाए बिना किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्था के सभी शिक्षकों का वर्ग अभिप्रेत है, जो उसी ग्रेड वेतन में प्रगणित हैं, जिसमें कोई भी भत्ता या बोनस सम्मिलित नहीं हैं।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं द्वारा भर्तियों में पदों का आरक्षण।

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्था में शिक्षकों के काडर में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण उस सीमा तक और ऐसी रीति में होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) पदों के आरक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्था को एक इकाई माना जाएगा।

4. (1) धारा 3 के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्कर्ष संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की संस्थाएं;

(ख) कोई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुसूची को समय-समय पर संशोधित कर सकेगी।

5. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि, अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना।

2019 का
अध्यादेश सं० 13

6. (1) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[धारा 4 (1)(क) देखिए]

क्र० सं०	उत्कर्ष संस्था, आदि का नाम
(1)	(2)

1. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई और उसकी घटक इकाइयां, अर्थात्:—

- (i) भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे;
- (ii) इंदिरा गांधी सेंटर फार एटोमिक रिसर्च, कलपक्कम;
- (iii) राजा रमन्ना सेंटर फार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर;
- (iv) इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर;
- (v) वैरिएबल इनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता;
- (vi) साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता;
- (vii) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर;
- (viii) इंस्टीट्यूट आफ मैथेमेटिकल साइंसेज, चेन्नई;
- (ix) हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद;
- (x) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई।

2. टाटा इंस्टीट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई।

3. नार्थ—ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलांग।

4. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर, गुडगांव।

5. जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलौर।

6. फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद।

7. स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, तिरुअनंतपुरम।

8. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून।